







फार्म III (स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें) Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित (Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल – 8000132.9 Licence No. CRO/QM/ L- 8000132.9

1.भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा **नवीकरण** की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby **recertifies**

मैसर्स व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर – 482 009 (म.प़)

M/s Vehicle Factory, Jabalpur – 482 009 (M.P)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धित प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रिजस्टर (रॉ) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS/ISO 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धित के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2015

2.यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत **नवीकृत** किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **recertified** subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences reffered to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 22 नवम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2024 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा ।

This licence shall be valid from 22 November 2021 to 30 September 2024 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2021 के नवम्बर माह के बाइसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहराँकित। Signed, Sealed and dated this Twenty Second day of November 2021

(R K Tyagi) (/
Deputy Director General (Central)
for EUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last certification expiry date 30 Sept 2021

Changeover Certification audit Date

* Recertification Due Date 30 Sept 2024











लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल — 8000132.9 Licence No. CRO/QM/ L- 8000132.9

जारी

ःव्हीकल फैक्टरी , जबलपुर – 482 009 (म. प्र.)

Issued to

: Vehicle Factory, Jabalpur - 482 009 (M.P.)

अनुसूची SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस **नवीकृत** किया गया है

Products Services/Processes with respect to which the firm has been **recertified** the licence for Quality Management Systems Certification:

"Manufacture, Supply and Servicing of Vehicle, Equipment and their Components. However, Design and Development of Products and Services (Clause 8.3) is not applicable to the Organization."

Deputy Director General (Central) for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

0





